

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-8645 /

3594

दिनांक: 15-01-19

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम ।

विषय: Diversion of 0.65 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, P.H.Engg. Division No. 1, Nuh for construction of internal boosting station over mountains at Village Tigaon Ghati, Tehsil Firozpur Jhirka, Augmentation of water supply 80 nos. villages and Firozpur Jhirka Town, under forest division and District Nuh, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Water/36820/2018

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 2392 दिनांक 11-12-2018 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.65 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजेंन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यू जमा करवाई जाए ।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।
- (iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)

कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डल अधिकारी, नूह ।
2. Executive Engineer, P.H.Engg. Division No. 1, Nuh.